न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 11/23 तारीख रज्जू– 12/09/23

1. जगदीश पुत्र मूडया उम्र 48 साल जाति रैगर निवासी सलारपुर । –अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी । –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 12/03/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 9/19 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सलारपुर के आराजी ख0नं0 359 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलवी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा नवीन रिपोर्ट दिनांक 04/03/2024 में बताया है कि उक्त वाद आराजीयात रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा रास्ता मौके पर चालू है तथा विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में जो भी अतिक्रमण किया हुआ था, उसे स्वयं अपीलार्थी ने हटा लिया है। जिसे पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में भी स्वीकार किया है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

12/3/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर पाटोरपोश बनाकर अतिक्रमण करना पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने ,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया तथा अपीलार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। जहां तक अपीलार्थी के अतिचारी होने के प्रश्न है तो विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस स्वयं स्वीकार किया है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में जो भी अतिक्रमण किया हुआ था, उसे स्वयं अपीलार्थी ने हटा लिया है। अतः अपीलार्थी द्वारा स्वयं ने उक्त वाद आराजीयात पर अपना अतिक्रमण करना स्वीकार किया है, जिसे वर्तमान में अपीलार्थी स्वयं ने हटा लिया है। अतः अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमण से बेदखल करने हेतु पारित किया गया निर्णय न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2024 .....को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी